दिनांक–13.02.2017 को अपराह्न 05:00 बजे प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान, औरंगाबाद के भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा विषय पर सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:–

बैठक में निम्नांकित पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुए:–

1. श्री राम किशोर मिश्र, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना
2. श्री आजीव वत्सराज, विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
3. श्री शैलेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, आई0डी0ए0, पटना
4. मो0 अनवर अली, सहायक अभियंता, आई0डी0ए0, पटना
5. श्री पुनीत खुराना उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद
6. श्री सुयश कुमार, संवेदक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद।

बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया:–

1. प्रधान सचिव द्वारा चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान के भवन निर्माण तथा अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों से संस्थान के अद्यतन प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आई0डी0ए0 के कार्यपालक अभियंता श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा आई0डी0टी0आर0 के संबंध में निम्न सूचना दी गई:–
   (i) चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
   (ii) बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। सिर्फ ग्रील लगाना बाकी है।
   (iii) कैम्पस लाइटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
   (iv) ट्रैफिक सिगनल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सिर्फ टेस्टींग बाकी है।
   (v) पार्किंग शेड्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है। फ्लोरींग का कार्य बाकी है।
   (vi) विद्युत कनेक्शन का कार्य बाकी है।
   (vii) संस्थान हेतु फर्नीचर/उपस्कर क्रय नहीं किया गया है।

2 प्रधान सचिव द्वारा संस्थान के निर्माण तथा अन्य कार्यो कि प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि राशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान का निर्माण एवं अन्य कार्य अबतक पूरा नहीं होना दुखद हैं। उन्होने कहा कि आई0डी0ए0 के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध है। बाउण्ड्रीवाल के निर्माण से बची शेष राशि से पार्किंग शेड्स का निर्माण आर0सी0सी0 से कराया जाय। उन्होनें राज्य परिवहन आयुक्त से जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद को चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान हेतु विद्युत कनेक्शन लेने हेतु निदेशित करने का निदेश दिया। प्रधान सचिव द्वारा संस्थान के उपनिदेशक श्री खुराना से यह पूछे जाने पर कि संस्थान में कौन–कौन से कार्य लंबित है श्री खुराना ने स्पष्ट किया कि वे संस्थान के लंबित कार्यो के संबंध में एक प्रतिवेदन एक–दो दिनों में समर्पित करें।

3 संस्थान के उपनिदेशक श्री खुराना से यह पूछे जाने पर कि वह फर्नीचर एवं उपस्कर कब तक संस्थान में उपलब्ध करा दी जायगी। श्री खुराना ने स्पष्ट किया कि राशि प्राप्ति की तिथि से दो माह के भीतर फर्नीचर/उपस्कर आदि कि आपूर्ति कर दी जायगी। इस पर प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि दो दिनों के भीतर सोसायटी को राशि उपलब्ध करा दी जाय तथा श्री खुराना से एक अन्डरटेकिंग ले लिया जाय कि वे दो माह के भीतर

फर्नीचर/उपस्कर की आपूर्ति कर देंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायगी।

(अनुपालन–बजट शाखा/श्री खुराना)

4 प्रधान सचिव द्वारा यह सूचित किया गया कि संस्थान का उदघाटन अप्रैल 2017 के द्वितीय सप्ताह में किसी भी तिथि को सकता है इसलिए सभी लंबित कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाय।

(अनुपालन–बजट शाखा/श्री खुराना)

5 प्रधान सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि संस्थान का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है इसलिए प्रत्येक 10 दिन के अन्तराल पर आई0डी0ए0 के पदधिकारियों के साथ राज्य परिवहन आयुक्त अपने कक्ष में बैठक बुलाएं। पहली बैठक दिनांक–27.02.2017 को बुलाई जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक. पत्रांक–3/प्र0–बजट–1–30/2012 (पार्ट–1) 779 पटना, दिनांक 17.2.17

E-mail

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक/ निदेशक (पी0आई0), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना, बिहार/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/श्री पुनीत खुराना, उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद/जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद/श्री सुयश कुमार, संवेदक आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।